न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्याः–10/2024 पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश सहारण (RAS)

सूरजा पुत्र रामनाथ, उम्र लगभग 78 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम निमली, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (वर्तमान जिला कोटपूतली बहरोड़) राजस्थान।

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर, जिला जयपुर (वर्तमान जिला कोटपूतली बहरोड)

––रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 बअदालत तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर वर्तमान जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा ग्रशासन गांवो के संग–2021 फोलो अप केम्प में दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022 अर्न्तगतधारा 131, 132 एल.आर. एक्ट राजस्थान सरकार बनाम नीमली दर्ज रजिस्टर करके बेकडेट में निर्णय दिनांक 01.07.2022 पारित फरमा कर अपीलाण्ट अभिलिखित/रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार को पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना, अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर ग्राम नीमली में से 0.0050 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित फरमाया गया तथा मुताबिक आदेश व प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता को नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन करने हेतु तहसीलदार विराटनगर को तहरीर जारी करने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार विराटनगर द्वारा भी अपीलाण्ट/अभिलिखित/ रिकार्डेड खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार को सुनवाई हेतु कोई नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना, विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा पारित उक्त आदेश में दर्ज दिनांक 01.07.2022 में हल्का पटवारी द्वारा बिना अधिकार के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आदेश की दिनांक 01.07.2022 के स्थान पर आदेश दिनांक 11.07.2022 संशोधन करते हुए भरे गये सुरजा नामान्तरकरण पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा कार्यवाही करते हुए नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 स्वीकृत करके अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे काश्तकात की भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर ग्राम नीमली में से 0. 0050 हैक्टेयर भूमि को गै० मु० रास्ता दर्ज कर दिया गया और अपीलाण्ट की खातेदारी समाप्त कर दी गई।

1. अपीलाण्टस वकीलः– श्री कृष्ण कुमार गुर्जर एवं मुकेश गुर्जर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27-5-26

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

1. अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश कि गई है कि राजस्व ग्राम नीमली, पटवार हल्का बजरंगपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र आंतेला, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (वर्तमान जिला कोटपूतली बहरोड़) की सरहद की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 114 पुराना 109 के अर्न्तगत अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा अन्य खसरान् की भूमि के साथ–साथ खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर बारानी–द्वितीय स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इस प्रकार अपीलाण्ट उक्त वर्णित खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर का रिकार्डेड खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार है।

2. यह कि तहसीलदार विराटनगर ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी), विराटनगर, जयपुर प्रशासन गांवो के संग–2021 फोलो अप केम्प के समक्ष दिनांक 11.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 132 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके ग्राम नीमली, पटवार मण्डल बजरंगपुरा तहसील विराटनगर क्षेत्र में स्थित मुख्य सी.सी. रोड़ नीमली से कालू गुर्जर की ढाणी तक आने–जाने का आम रास्ता सभी आम जन एंव कृषको के द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। उक्त आम रास्ता वाके ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर, 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 332 रकबा 3.80 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.20 हैक्टेयर से होकर गुजर रहा है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बरान् में स्थित आम रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3 (2) राज–6/2003/ पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम मे राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमावे। उक्त खसरा नम्बर की भूमि निजी खातेदारी/राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–
   1. निजी खातेदारी की भूमि की अवस्था में निजी खातेदारान् के खसरा नम्बर एंव रकबा मय रिपोर्ट भू०अ० निरीक्षक व पटवारी–खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.20 हैक्टेयर।
   2. आम रास्ते की भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार होने की अवस्था में खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 332 रकबा 3.80 हैक्टेयर। अतः श्रीमान् को वर्णित खसरा नम्बरान् मय वांछित रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने हेतु सादर प्रेषित है।

3. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 11.07. 2022 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टः अभिलिखित/रिकार्डेड खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना उसी दिन दिनांक 11.07. 2022 को ही प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम नीमली दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 फोओ–अप केम्प में बेक डेट में निर्णय दिनांक 01.07.2022 पारित फरमाया गया कि–प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के फोलो–अप केम्प के अर्न्तगत तहसीलदार विराटनगर द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओ के निराकरण हेतु ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर, 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 332 रकबा 3.80 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.20 हैक्टेयर पर मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड एंव नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 132 एल०आर० एक्ट प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में रास्ता मुख्य सी०सी० रोड़ नीमली से कालू गुर्जर की ढाणी की ओर जाना बताया है। तहसीलदार विराटनगर के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी एंव भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, मौका फर्द जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए गए है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर में से 0.09 हैक्टेयर, 331 रकबा 026 हैक्टेयर में से 0.0050 हैक्टेयर, 332 रकबा 3.80 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 0.0050 हैक्टेयर में

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

मौके पर रास्ता चालू है तथा प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक आम रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के लिए पटवारी, भू०अ० निरीक्षक एंव तहसीलदार द्वारा अभिशंषा की गई है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व (भू०अभिलेख) नियम 1957 के नियम 59, 60H, 60 66 व 86 एंव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.06.2016 के अनुसरण में ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर में से 0.09 हैक्टेयर, 331 रकबा 026 हैक्टेयर में से 0.0050 हैक्टेयर, 332 रकबा 3.80 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 0.0050 हैक्टेयर को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एंव प्रस्तावित नजरी नक्शा की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे। तहसीलदार विराटनगर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मजमें आम में सुनाया गया।

4. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अभिलिखित/रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही बेक डेट में निर्णय दिनांक 01.07.2022 पारित फरमा कर अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर में से 0.0050 हैक्टेयर ग्राम नीमली की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एंव रास्ता को नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश प्रदान कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय माननीय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 एल०आर० एक्ट के तहत पेश की जा रही है।
5. यह कि तत्पश्चात तहसीलदार विराटनगर द्वारा भी अपीलाण्ट/अभिलिखित/रिकार्डेड खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार को सुनवाई हेतु कोई नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना, विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा पारित उक्त आदेश में दर्ज दिनांक 01.07.2022 में हल्का पटवारी द्वारा बिना अधिकार के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आदेश की दिनांक 01.07.2022 के स्थान पर आदेश दिनांक 11.07.2022 संशोधन करते हुए भरे गये नामान्तरकरण पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा कार्यवाही करते हुए नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 स्वीकृत करके अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे काश्तकात की भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर ग्राम नीमली में से 0.0050 हैक्टेयर भूमि को गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया गया।
6. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट की ओर से माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश की जा रही है–

–:आधार :–

A- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश प्राकृतिक न्याय के दिनांक 02.08.2022 विधि, विधान, न्याय, मान्य सिद्धान्तो एंव विधि के सामान्य सिद्धान्तो तथा पत्रावली पर मौजूद तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्यो के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

B- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय/आदेश पारित करने में कानूनी एंव तथ्यात्मक गम्भीर भूल की गई है इसलिये आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

C- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 में हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि महोदय, मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आदेश मु०नं0 70 के आदेश दिनांक 11.07.2022 की पालना में नामान्तरकरण वास्ते जाँच व अन्तिम कार्यवाही हेतु पेश है। भू०अ० निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि–मुताबिक आदेशानुसार अंकन सही है। तहसीलदार विराटनगर ने बिना जाँच किये, बिना रिकार्ड का अवलोकन किये, हल्का पटवारी द्वारा अंकित तथाकथित आदेश दिनांक 11.07.2022 को देखे बिना ही एक ही शब्द में अंकित किया कि स्वीकृत दिनांक 02.08.2022 जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मु०नं0 70 में आदेश दिनांक 11.07.2022 पारित ही नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2022 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व प्रलेखीय साक्ष्यो के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

D- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी ने बिना अधिकार व क्षेत्राधिकार के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07. 2022 में संशोधन करके आदेश की दिनांक 11.07.2022 दर्ज करते हुए विवादित नामान्तरकरण भरा गया था। जबकि हल्का पटवारी को सक्षम न्यायालय के आदेश में संशोधन/परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा अपनाई गई दूषित प्रक्रिया के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में तहसीलदार विराटनगर द्वारा गम्भीर रूप से कानूनी व तथ्यात्मक भूल की गई है इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 निरस्त किये जाने योग्य है।

E- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में केवल मात्र यह अंकित किया कि स्वीकृत दिनांक 02.08.2022 इसके अलावा कुछ भी अंकित नहीं किया गया। उक्त आदेश दिनांक 02.08.2022 किस आधार पर, क्यों स्वीकृत किया। इसका कोई कारण व आधार पर उल्लेखित नहीं किया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग है। तहसीलदार विराटनगर ने उक्त आदेश पारित करने में भारी अनियमितता बरती है। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 02.08.2022 नामान्तरकरण संख्या 449 निरस्त किये जाने योग्य है।

F- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 स्वीकृत करने से पूर्व उक्त भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस कारण अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2019 आर. बी.जे. पेज 169 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि हालांकि प्रकरणो का निस्तारण तीव्र गति से किया जाना चाहिये किन्तु ऐसा करने में यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कोई पक्ष बिना सुनवाई का अवसर दिए नहीं रह जाए। न्यायालयो में सदियो से Audi Alteram Partem यानि कि "दूसरे पक्ष को भी सुनो" के सिद्धान्त की पालना की जाती रही है। परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धान्त की कोई पालना नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश कत्तई गलत, गैरकानूनी व विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

G- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर को अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाण्ट की खातेदारी समाप्त करने का कोई क्षेत्राधिकार व शक्तियां प्राप्त नहीं थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर ने अपने क्षेत्राधिकार व शक्तियो का गम्भीर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

रूप से दुरूपयोग करके भारी अनियमितता बरती गई है इसलिये अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

H- यह कि तहसीलदार विराटनगर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर ष्प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 फोलो अप केम्प में अपने प्रार्थना पत्र में विवादित रास्ता को मुख्य सी.सी. रोड़ नीमली से कालू गुर्जर की ढाणी की ओर जाना बताया है जो सर्वथा गलत है। मौके पर कालू गुर्जर की कोई ढाणी अस्तित्व में नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (शिविर प्रभारी) के समक्ष तहसीलदार ने सर्वथा गलत तथ्य प्रस्तुत करके बेक डेट में आदेश दिनांक 01.07.2022 प्राप्त किया है जिसके आधार पर विवार्दित नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करके हल्का पटवारी द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 11.07. 2022 के आधार पर विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

I- यह कि अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर में कभी रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं रहा है और ना ही कभी कोई रास्ता था, न ही रास्ता मौके पर मौजूद है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश मौका स्थिति के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

J- यह कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर के समक्ष तहसीलदार विराटनगर की ओर से दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 132 एल. आर.एक्ट के तहत ष्प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 फोलो–अप केम्प में पेश किया गया था और विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा उसी दिन दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022 दर्ज रजिस्टर कर लिया गया और उसी दिन दिनांक 11.07.2022 को बेकडेट दिनांक 01.07.2022 में उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित फरमा दिया गया। हल्का पटवारी को उक्त आदेश की दिनांक 01.07.2022 के स्थान पर आदेश की दिनांक 11.07.2022 संशोधन करके नामान्तरकरण भरने व तहसीलदार विराटनगर को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई अधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय / आदेश पारित फरमाने में भारी अनियमिता बरती गई है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

K- यह कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर के समक्ष तहसीलदार विराटनगर की ओर से दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 132 एल. आर.एक्ट के तहत प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 फोलो–अप केम्प में पेश किया गया था। जिस पर उसी दिन दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022 दर्ज रजिस्टर कर लिया गया और उसी दिन दिनांक 11.07.2022 को बेकडेट दिनांक 01.07. 2022 में निर्णय पारित फरमा दिया गया। मौका फर्द में सरपंच ग्राम पंचायत/वार्ड पंच एंव खातेदारान की उपस्थिति में मौका दिनांक 24.06.2022 को देखना बताया गया है। जबकि दिनांक 24.06.2022 को प्रकरण संख्या 70/2022 दर्ज रजिस्टर ही नहीं किया गया था। प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने से पूर्व किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण करने के कोई आदेश पारित नहीं किये गये थे। प्रि–मैच्योर मौका फर्द है। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद मौका फर्द के अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि हल्का पटवारी व भू०अ० निरीक्षक द्वारा मौके पर जाँच किये बिना, मौके पर पहुँचे बिना ही, केम्प में बैठे–बैठे ही बेकडेट दिनांक 24.06.2022 में मौका फर्द तैयार करके पेश की गई है जिस पर सरपंच, वार्डपंच एंव खातेदारान् के कोई हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। इस प्रकार मौका फर्द सर्वथा गलत व मौका स्थिति के विपरीत है। तहसीलदार विराटनगर ने सर्वथा गलत तथ्य प्रस्तुत करके विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर से मौका स्थिति के विपरीत व गलत आदेश दिनांक 01.07.2022 प्राप्त करके

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

उक्त आदेश की आड़ लेकर विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो कत्तई गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

L- यह कि कानूनन अभिलिखित/रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना उसकी खातेदारी की जोत में से रास्ता निकालने एंव उसकी खातेदारी को समाप्त करने का अधिकार एंव क्षेत्राधिकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.26 हैक्टेयर में से 0.0050 हैक्टेयर भूमि को गै०मु० रास्ता दर्ज कर अपीलाण्ट की खातेदारी को समाप्त किया गया है जो कत्तई गलत, गैरकानूनी, विधि विरूद्ध एंव क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

M- यह कि न्यायिक दृष्टान्त 2021 (2) अपील एलआर नम्बर 3360/2020 बउनवानी धन्नाराम बनाम रामनिवास व अन्य निर्णय दिनांक 18.08.2021 में राजस्व मण्डल द्वारा धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट में यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि प्रार्थना पत्र धारा 131 के अर्न्तगत था–रेस्पोडेण्ट्स को विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया–सुनवाई का अवसर रेस्पोडेण्ट्स को भी दिया जाना चाहिये–निर्णीत, निर्णय अपास्त किये। हस्तगत प्रकरण में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

N- यह कि किसी भी खातेदार की जोत में से यदि कोई आत्यान्तिक आवश्यकता हेतु रास्ता निकाला जाता है तो वह धारा 251–ए आर०टी० एक्ट के अर्न्तगत ही विचारण योग्य है। सम्बन्धित खातेदार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने, विधिवत् रूप से सम्यक तामील करवाने एंव सुनवाई व साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि बतौर मुआवजा दिये बिना उसकी जोत में से रास्ता नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट की परिधी एंव स्कॉप के अर्न्तगत नहीं होने के कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 के आधार पर विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो कत्तई गलत व गैरकानूनी एंव विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

O- यह कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022 (दर्ज रजिस्टर दिनांक 11.07.2022) बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम नीमली में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.07.2022 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जा रही है।

P- यह कि विद्वान तहसीलदार विराटनगर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर को सर्वथा गलत तथ्य बताकर बेकडेट में निर्णय/आदेश दिनांक 01.07.2022 को पारित करवाया है। जबकि प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022 अर्न्तगत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट राजस्थान सरकार बनाम नीमली दिनांक 11.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया था। अपीलाण्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 01.07.2022 की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट/अभिलिखित/रिकार्डेड खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना, साक्ष्य

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है। प्रारम्भ से शुन्य व अवैध आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसके लिए परिसीमा काल की कोई बाध्यता नहीं है। अपीलाण्ट की ओर से उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। अपीलाण्ट पैरालाईसिस (लकवा) की बिमारी से ग्रसित है। अपीलाण्ट मात्र साक्षर है जो अपने हस्ताक्षर करना जानता है। अपीलाण्ट को कानून एंव कानूनी मियाद का ज्ञान नहीं है। अपीलाण्ट 78 वर्षीय वरिष्ठतम नागरिक है। दिनांक 07.10.2024 को हल्का पटवारी मौका पर आया और अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 ग्राम नीमली में नाप–जौख करने लगा तो अपीलाण्ट ने इसका कारण पूँछा तो हल्का पटवारी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/आदेश दिनांक 01.07.2022 (प्रकरण दर्ज रजिस्टर दिनांक 11.07.2022) के बारें में जानकारी दी और उक्त भूमि में रास्ता निकालने हेतु जानकारी दी। जिसका अपीलाण्ट ने विरोध एंव आपत्ति की। दिनांक 07.10.2024 को ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में गया और जाँच पड़ताल करवा कर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 07.10.2024 को निर्णय दिनांक 01.07.2022 सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 0710.2024 को हुई। तत्पश्चात 10. 10.2024 को नामान्रकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया और दिनांक 10.10. 2024 को उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई। तब सर्वप्रथम दिनांक 10.10.2024 को अपीलाण्ट को विवादित नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। उक्त आदेश दिनांक 01.07.2022 व उक्त नामान्तरकरण को पढाकर सुन व समझने के बाद अपीलाण्ट सदमें में आ गया और लकवा की बिमारी गम्भीर रूप धारण कर ली। इस कारण अधिवक्ता नियुक्त करने एव अपील पेश करने में असमर्थ हो गया। अभी हाल ही में अपीलाण्ट के स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील तैयार करवा कर आज माननीय न्यायालय हाजा में पेश की जा रही है। उक्त परिस्थितियो में अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ कण्डोन फरमाया जाकर अपील की गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें वर्णित तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ कण्डोन फरमाया जाकर अपील की गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

Q- यह कि अपील नियमानुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

R- यह कि माननीय न्यायालय हाजा की मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयध्आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा को यह अपील श्रवण एंव निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

S- यह कि अन्य उजरात बरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे, अपीलाण्ट के पक्ष में पारित फरमाने की कृपा करे।

7. प्रकरण जरिये वकील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्ट का तल्बी हेतु रजिस्डर्ड नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार को रिकॉर्ड हेतु तहरीर जारी की गई। वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि मूल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति पत्रावली संलग्न है इसलिए बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। वकील अपीलान्ट

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

के निवेदन पर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया जाकर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माननीय संभागीय आयुक्त से अपील संख्या 2024/689 में दिनांक 14.05.2025 में वाद संख्या 70/22 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम नीमली अन्तर्गत धारा 131, 132 में पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि उभयपक्ष को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि उक्त आदेश पर गौर कर पेश की गई अपील का मूजंर कर नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.20222 ग्राम नीमली तहसील विराटनगर को खारीज फरमावें

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 को निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई थी। चूंकि बहस के दौरान अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं यह तथ्य प्रकट किया गया है कि इस नामान्तरकरण का मूल आधारभूत आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर का आदेश दिनांक 01.07.2022 माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय, जयपुर द्वारा अपील संख्या 2024/689 में दिनांक 14.05.2025 को पूर्व में ही निरस्त कर मूल अदालत को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण में माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 14.05.2025 के अनुसार मूल विवादित रास्ता सम्बन्धी प्रकरण वाद संख्या 70/2022 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु विचाराधीन है, अतः तहसीलदार विराटनगर द्वारा पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 02.08.2022 का भविष्य में प्रभावी रहना या न रहना उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा पारित होने वाले आगामी नवीन निर्णय के अधीन रहेगा। अतः जब मूल आदेश ही उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, तो उसके आधार पर बने इस नामान्तरकरण के विरुद्ध यहाँ पृथक से अपील पेश करने का कोई विधिक औचित्य शेष नहीं रह जाता है। इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-5-26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)